/

पत्र संख्या-विधि-4-(1)-परिपत्र पत्रावली भाग-2(2010-2011)/1715/1011081 / वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(विधि अनुभाग)
दिनांक:: लखनऊ::जनवरी 7 ,2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

शासन के पत्र सं0 क0नि0-1779/ग्यारह-2-2010-9(125)/09 दि0 15-12-2010 द्वारा रू0 50 लाख से कम सकल वार्षिक टर्नओवर वाले कतिपय श्रेणी के व्यापारियों के लिये दि0 01-01-2011 से आन लाईन रिटर्न दाखिल किया जाना अनिवार्य किया गया था जिसे मुख्यालय के पत्र संख्या-विधि-4-(1)-परिपत्र पत्रावली भाग-2(2010-2011)/ 1656/ 1011069/ वाणिज्य कर दि0 21-12-2010 द्वारा परिपत्रित किया गया था।

2- उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय के पत्र सं0 विधि-4-(1)-विज्ञप्ति भाग-2(2009-2010)/1422/ वाणिज्य कर दि0 03-11-2010 द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-क0नि0-1439/ग्यारह-9(13)/2010-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-9 / 2010 - उ0प्र0अधि0-5-2008- आदेश (64) - 2010 दि0 03-11-2010 को परिपत्रित किया गया था जिसके अनुसार दि0 01-01-2011 से रू0 50 हजार अथवा इससे अधिक मूल्य के निम्नलिखित माल के परिवहन के दैरान फार्म-21 (परिवहन मेमो) रखे जाने की व्यवस्था लागू की गई थी :

(1) मैन्था आयल/डी-मैन्थलाइज्ड आयल (डी0एम0ओ0)/ मैन्थाल
(2) सुपारी
(3) सीमेंट
(4) आयरन एण्ड स्टील

3- विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के संज्ञान में लायी गई कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन के पत्र सं0 क0नि0-25/ग्यारह-2-2010-9(125)/09 दि0 06-01-2011 द्वारा इस विषय पर निम्नवत् निर्देश दिये गये है:-

(क) रू0 50 लाख से कम सकल वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों द्वारा दिसम्बर, 2010 / दिसम्बर त्रैमास के ई-रिर्टन दाखिल न किये जाने की दशा में अर्थदण्ड न लगाया जाये लेकिन उनको निर्धारित तिथि अर्थात 20जनवरी,2011 तक मैनुअल रिटर्न जमा करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि व्यापारी टैक्स इनवाईस/ सेल इनवाईस बुक में माल के प्रस्थान की तिथि एवं समय, गन्तव्य स्थान पर माल पहुँचने की तिथि एवं समय और वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर का कालम प्रिंट / स्टैम्पिंग कराकर संबंधित टैक्स/ सेल इनवाईस बुक विभागीय अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर इन कालम पर आवश्यक अंकन करते हुए माल का परिवहन करते हैं तो ऐसे व्यापारियों पर माल के साथ फार्म 21 उपलब्ध न होने की दशा में अग्रिम निर्णय तक कोई कार्यवाही न की जाय। यह व्यवस्था 50 कि0ग्रा0 भार के 300बोरी सीमेंट, 09टन आयरन एण्ड स्टील तथा सुपारी के 70 कि0ग्रा0 भार वाले 50 बैग व इससे अधिक माल के एक व्यापारी/ उत्पादक द्वारा किये जा रहे परिवहन पर ही लागू होगी। इस मात्रा से कम वजन के उक्त माल के परिवहन हेतु फार्म 21 की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4- उक्त के अतिरिक्त यह तथ्य भी संज्ञान में लाया गया कि जो व्यापारी/निर्माता कम्प्यूटर से टैक्स इनवाईस/ सेल इनवाईस जारी करते हैं, उनके द्वारा उपर्युक्त प्रकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना सम्भव न होगा।

अतः इस विषय में यह निदेश दिये जाते हैं कि ऐसे व्यापारी/ निर्माता जो कम्प्यूटर से टैक्स इनवाईस/ सेल इनवाईस जारी करते हैं वह अपने कर निर्धारण अधिकारी से आवश्यकतानुसार ओ0सी0 स्टैम्प प्राप्त करेगें तथा ओ0सी0स्टैम्प ऐसे परिवहित माल के साथ प्रेषित किये जा रहे टैक्स इनवाईस/ सेल इनवाईस पर लगायेगें तथा उसी क्रमांक का दूसरा ओ0सी0स्टैम्प टैक्स इनवाईस/ सेल इनवाईस की अपने अभिलेख में रखे जाने वाले प्रति पर लगाकर उसे सुरक्षित रखेगें। शेष व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

5- जो व्यापारी टैक्स इनवाईस/सेल इनवाईस के स्थान पर चालान से माल का परिवहन करते हैं उनके संबंध में भी उपरोक्त प्रस्तरों में दी गई व्यवस्था लागू रहेगी। अन्य व्यवस्थाऐं उपरोक्तानुसार लागू रहेगी।

शासन के इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुये इसकी प्रतियां अधिवक्ता संघों एवं व्यापारिक संगठनो को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0
(5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
(6) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/अपील/कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(8) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।
(9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(11) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग,इलाहाबाद।
(14) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10नोयडा।
(15) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।
(16) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी 0 कमि0 / असि0 कमि0 (उ0न्या0कार्य0)लखनऊ / इलाहाबाद।
(17) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉं में।
(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉं।
(19) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(20) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ।
(21) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ।
(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उ0र प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ।
(24) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ।
(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ।
(29) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
(30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ।
(31) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वा0 कमि0 (कार्य0)के माध्यम से।

(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली।
(33) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,महा सचिव,उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर
(34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
(35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
(37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
(38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी।
(39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुंजगली,चौक,वाराणसी।
(40) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
(41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।
(42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
(43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद।
(44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर।
(46) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर।
(47) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ।
(51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
(52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
(53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ।
(54)श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पँजी0-बी-29,विधायक निवास, दारुल शफा,लखनऊ।
(55) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ।
(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
(57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ।
(58) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।
(59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल मण्डल कैम्प कार्या0 इमलीवलानोटरा सादाबाद गेट,हाथरस
(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट , खोया मण्डी इलाहाबाद।
(64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।
(65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
(66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद।
(67) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।

7.1.11

(पदम कुमार)
एडीशनल कमिश्नर कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।